के दस्ताने, चश्मे, आदि की खरीद संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद खरीद की जाती है।

संयोजना और प्रायोजना के आधार पर कोयले का आवंटन

6241. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले का आवंटन संयोजना और प्रायोजना के आधार पर किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के आधार और स्वरूप क्या हैं और उक्त आधार के मानदंड क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में गड़-बड़ी करने में कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) व्यक्तिगत रूप में उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा के संबंध में निर्णय वॉयलरों के विशिष्ट पैरामीटरों तथा अन्य उपकरणों के आधार पर लिया जाता है और तदनुसार संयोजन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपयुक्त स्रोतों से कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। कोयले के आवंटन/प्रेषण, आदि में अनियमितताओं की शिकायतें, जब कभी प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कि शिकायतें सिद्ध हो जाती है, उन मामलों में कार्रवाई की जाती है; जिसमें विभागीय कार्रवाई/अभियोजन शामिल है। इस संबंध में कोल इंडिया लि० के सतर्कता प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की गई अनंतिम सूचना के अनुसार दो मामले अभियोजन के अधीन थे, जबकि 16 मामले सूचना प्रस्तुत करते समय कोयले की बिक्री से सम्बद्ध अनियमितताओं के बारे में नियमित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत लम्बित पड़े थे।

कोयला धोवनशालाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना

6242. **श्री राम अठमलानी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को आकृष्ट करने के लिए कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धोवनशालाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने इन धोवनशालाओं की स्थापना हेतु सरकार से अपनी पेशकश की है और

(घ) यदि हां, तो देश में कितनी धोवनशालाएं स्थापित की जाएंगी, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, उनमें कितना निवेश किया जाएगा और कब तक इनकी स्थापना किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) अपने स्वामित्व वाली कोयला वाशरियों बनाओ और चलाओ के आधार पर कोल इंडिया लि. (को०इं०लि०) ने चुनिन्दा स्थानों पर वाशरियों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया है। को० इं० लि० द्वारा मांगी गई निविदाओं के प्रत्युत्तर में 42 कंपनियों ने इस स्कीम के अंतर्गत अपने पूर्व-अर्हक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। को०इं०लि० कच्चे कोयला मुहैया कराएगा और धुलाई के खर्च की अदायगी करेगा। वे वाशरियों के लिए अपेक्षित पट्टेदारी भूमि तथा

अन्य तकनीकी सहायता जिसकी उद्यमी को आवश्यकता हो सकती है, भी मुहैया करेंगे। अपनी ओर से उद्यमियों से वाशरियों में निवेश किए जाने का निर्माण करने, उन्हें चालू तथा कार्यरत किए जाने संबंधी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए पांच स्थलों को चिन्हित कर दिया गया है। इन वाशरियों, आदि पर निवेश तथा विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में जानकारी इस संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

कोल इंडिया लि० द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु विशेष पैकेज

6243. **श्री अजीत जोगी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० द्वारा जिन लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनके लिए बनाए गए विशेष पैकेज का ब्यौरा क्या है

(ख) जिन लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनके लिए कोल इंडिया लि० और भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत कोकिंग कोल लि० और कोल इंडिया लि० द्वारा उन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि के संबंध में भूमि वंचितों के लिए पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

जहां तक परियोजना में अकुशल तथा अर्द्ध कुशल श्रेणियों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, उन्हें नितान्त रूप से भू-वंचित परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

भू-वंचितों को परियोजनाओं की अन्य श्रेणियों में रोजगार के लिए उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता आधार पर उचित व्यवसायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सभी बेदखल परिवारों को अवसंरचना सहित वैकल्पिक आवास स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक बेदखल परिवार को 2000/- रु० तक स्थानान्तरण भत्ता तथा आवास के लिए 5000/- रु० की एक-मुश्त राशि अदा की जाएगी।

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए नकद मुआवजा राशि को जिला प्रशासन के पास अग्रिम रूप में जमा करा दिया जाएगा ताकि भू-स्वामित्व वाले बेदखल परिवारों को मुआवजे के भुगतान में विलम्ब न हो।

जो परिवार एक सदस्य को रोजगार दिए जाने की सुविधा से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन्हें 20 वर्ष के लिए जीवन-यापन भत्ता 300 रु० प्रति माह प्रति एकड़ की दर से यथाअनुपातिक रूप में दिया जाएगा जोकि अधिकतम 1000/- रु० प्रति माह 100/- रु० प्रति माह प्रति परिवार की दर से अनुग्रह की राशि से अधिक न हो, का भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त बताई गई दर पर जीवन-यापन भत्ता वर्ष 20 वर्ष की अवधि में एक पूंजीकृत कर दिया जाएगा तथा भू-वंचितों को वितरित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पास जमा रहेगा।

(ख) संबंधित नई परियोजनाओं में अकुशल तथा अर्द्ध-कुशल कार्यों में नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं।